न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

वाद सं0 : 131 सन 2025

अनवान :–

1. फुलाराम वल्द मालाराम जाति मेधवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/10/25

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा मिनकदेसर के खसरा न0 20 की 19.00 बीधा, भूमि फुलाराम वल्द मालाराम जाति मेधवाल निवासी कोलासर को दिनांक 17.06.1971 को आवंटनशुद्वा भूमि है जो आवंटन के समय से आवंटी फुलाराम वल्द मालाराम के कब्जा काश्त में रही है रोही मोजा मिनकदेसर के खसरा न0 20 की 19.00बीधा भूमि अराजीराज भूमि थी जिसे वादी फुलाराम वल्द मालाराम को दिनांक 17.06.1971 को आवंटन की गई थी जो आवंटी/वादी फुलाराम के कब्जा काश्त में चल आ रही है।

वादी फुलाराम वल्द मालाराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी /आवंटी फुलाराम वल्द मालाराम जाति मेधवाल निवासी कोलासर नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी वादी/आवंटी फुलाराम वल्द रामचन्द्र को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी को रोही मौजा मिनकदेसर के खसरा न0 20 की 19.00 बीधा भूमि आवंटन की गई थी जो वर्तमान में हैक्टर में परिर्वत होकर रोही मोजा मिनकदेसर के खाता संख्या 294/298 के खसरा न0 290/1 की 1.9480हैक् में परिर्वतन /पैमुद की गई जिसे वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी को आवंटन की गई भूमि को वादी /आवटी के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 294/298के खसरा न0 290/1 की कुल 1.9480हैक् भूमि जो वादी को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता मनीराम वल्द रामचन्द्र के कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता आवंटी फुलाराम के देहान्त होने के बाद वारिसान वादी के कब्जा काश्त मे चली आ रही है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी [illegible] पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब [illegible] की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे [illegible] के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अ[illegible] है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा मिनकदेसर के खसरा न0 20 की 19.00 बीधा भूमि वादी फुलाराम पुत्र मालाराम जाति मेधवाल को दिनांक 17.06.1971 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय नोहर के द्वारा आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश एवं पटवारी हल्का/तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से भूमि आवंटन होने की पुष्टि होती है आवंटन के समय से उक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

आवंटी फुलाराम पुत्र मालाराम को रोही मौजा मिनकदेसर के खसरा न0 20 की 19.00 बीधा भूमि आवंटन की गई थी जो गत पैमाईश में खसरा न0 20 की 19.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 290 की 19.00 बीधा में परिर्वतन की जाकर हैक्टयर में परिर्वतन किया जाकर रोही मोजा मिनकदेसर के खसरा न0 290/1 की 1.9480हैक में पैमुद की गई है जो मिलान क्षेत्रफल पटवारी हल्का/तहसीलदार नेाहर की रिपोर्ट से साबित है तथा वादी /आवटि को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी/आवंटी के नाम से दर्ज चली आ रही है।

वादी के पिता मनीराम वल्द रामचन्द्र जाति सुनार साकिन थिराना को रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 436/430 के खसरा न0 254 की 5.10 बीधा, खसरा न0 255 की 6.10 बीधा. कुल 12.00बीधा भूमि आवंटित की गई थी लगतार आवंटन के समय से लगातार कब्जा काश्त में पूर्व आवटी मनीराम के कब्जा काश्त में रही व आवंटी मनीराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादीगण 1 ता 13 के कब्जा काश्त में चली आ रही है एव राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के देहान्त होने पर विरास्तन से मनीराम के वारिसान के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है ।

वादी /आवटी को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी/आवंटी नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी /आवंटी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी /आवंटी को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 294/298 के खसरा न0 290 की 1.9480हैक भूमि भूमि का वादी को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा मिनकदेसर के खाता संख्या 294/298 के खसरा न0 290 की 1.9480हैक भूमि फुलाराम वल्द मालाराम का वर्ष 1971 में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश व तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है अर्थात वाद भूमि वादी /आवंटी को आवंटन होना पूर्णत्या साबित है।

वाद भूमि फुलाराम वल्द मालाराम को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश दिनाकं 17.06.1971/तहसीलदार नोहर /पट[illegible] की रिपोर्ट से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि वादी के [illegible] गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है [illegible] के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी हल्का कि रिपोर्ट अनुसार रोही मोजा मिनकदेसर के खसरा न0 290/1 की 1.9480हैक भूमि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में पैमुद की जाकर वादी के के नाम

Rahul उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हन0)

बतौर गैरखातेदार दर्ज है वे कब्जा काश्त में चली आ रही है किसी न्यायालय का स्थगन आदेश विवाद नही है नगर पालिका पेराफेरी मे स्थित नही है विशेष आवंटन की सूची में शामिल नही है वादी अनूसूचित जाति का सदस्य है इन्दिरा गांधी नहर परियोजन क्षेत्र में भूमि आती है आंवटी के वारिसान के कब्जा काश्त में है किसी प्रकार का प्रभार बकाया नही है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रोही मौजा मिनकदेसर के हाल खसरा न0 290/1 की 1.9480हैक भूमि वादी/आवटी को आवंटन की गई थी जो बतौर गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी/आवंटी के कब्जा काश्त में चली आ रही थी

वादी का कथन है कि वाद भूमि आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी आवंटन के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वादी को आवटन की गई भूमि को वादी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता मनीराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी / आवंटी फुलाराम वल्द मालाराम जाति मेधवाल निवासी कोलासर (जो अनुसूचित जाति का सदस्य है) को रोही मौजा मिनकदेसर के साबिका खसरा न0 20 की 18.00 बीधा हाल खसरा न0 290/1 की 1.9840हैक भूमि आवंटन की गई थी जो राजस्व रिकार्ड में आवंटी के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि को आवंटन नियम 1957/1970 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर के हाल खसरा न0 290/1 की कुल 1.9840हैक भूमि वादी को आवंटन की गई थी जो आवंटन आदेश एव तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार वाद भूमि जो वादी को आवंटन की गई थी वादी/आवंटी के कब्जा काश्त में चली आ रही थी कब्जा काश्त की पूष्टि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एव प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णरूप से साबित है वादी को आवंटन की गई भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी को आवंटन की गई भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी अधिसुचनाओं/परिपत्र के परिपेक्ष्य में ही प्राप्त करने का अधिकारी है अर्थात वादी उपनिवेशन नियमों के तहत बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 294/298 के खसरा न0 290/1 की 1.9840हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.10.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)

अनवान :–

1. फुलाराम वल्द मालाराम जाति मेधवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 131 सन 2024 निर्णय दिनांक – 24.10.25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 294/298 के खसरा न0 290/1 की 1.9840हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.10.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:13:06 IST
Reason: SelfAttested